भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5796
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित भाषाओं में शिक्षण

†5796. श्री मोहिब्बुल्लाह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की भाषा-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विश्वविद्यालयों में उर्दू और अन्य अनुसूचीबद्ध भाषाओं के शिक्षकों/व्याख्याताओं के स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या कितनी है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किए गए उर्दू स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने अनुसूचीबद्ध भाषाओं के लिए शिक्षकों की कमी का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में पर्याप्त संख्या में भर्ती सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जो उच्चतर और स्कूल शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों का साझा उत्तरदायितत्व है। अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसी तरह, अधिकांश छात्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिशासित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करते हैं।

भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) की शुरूआत की। एनईपी में बहुभाषिकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और सभी भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन पर बल देती है। एनईपी में जहां भी संभव हो, मातृभाषा/स्थानीय भाषा को कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश करता है।

संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थानों के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करते हैं। इनमें से अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न भाषाओं के लिए समर्पित सुव्यवस्थित विभाग भी स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, रिक्तियों को समय पर भरने को सुनिश्चित करने के लिए, सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने वर्ष 2022 से मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, दिनांक 24.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 17,494 संकाय पदों सहित कुल 29,979 पदों को भरा गया हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान जहां भी आवश्यकता होती है, विशेष भाषा क्षेत्रों में अतिथि / विजिटिंग संकाय को संलग्न करके नियमित संकाय की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अनुसूचित भाषाओं में अनुसंधान गतिविधियों, गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन तथा प्रकाशनों के प्रचार के माध्यम से भाषाई अनुसंधान को सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

तथापि, रिक्त पदों का सृजन और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं की शुरूआत और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या तथा मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार की अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

बहुभाषी शिक्षक कार्यबल के विकास को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) अपनी क्षमता वृद्धि और मूल्य संवर्धित पाठ्यक्रमों के भीतर भाषा-I और भाषा-II के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं को शामिल करता है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री को छात्रों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराने के

लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना (बीबीपीएस) की घोषणा की गई है। बीबीपीएस में सभी 22 भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की परिकल्पना करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं। इन प्रयासों को भारतीय भाषाओं में बड़े भाषा मॉडल, अनुवाद उपकरण और भाषा-सक्षम डिजिटल सेवाओं के विकास सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से और बढ़ाया गया है।

भारत सरकार ने भारतजेन परियोजना शुरू की है, जो एक बहुआयामी बड़ी भाषा मॉडल परियोजना है, जो सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करने वाले कुशल और समावेशी एआई समाधानों को विकसित करने पर केंद्रित है और भारत के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और विविध क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ डिजिटल एआई अवसरंचना के निर्माण को सक्षम करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं में सामग्री के अनुवाद की सुविधा प्रदान करने के लिए, तकनीकी प्रगति में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुवादिनी और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल, भाषिणी जैसे एआई-आधारित अनुवाद उपकरणों का विकास शामिल है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) की स्थापना उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रचारित करने के लिए की गई है, जिसमें इन भाषाओं में आधुनिक वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और समकालीन ज्ञान तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख अनुसंधान निकाय है, जो नीतिगत सहायता, अनुसंधान, संसाधन विकास, अनुवाद, परीक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- **भाषा प्रलेखन और संरक्षण:** सीआईआईएल कम ज्ञात भाषाओं का प्रलेखन करता है जिनके 10,000 से कम वक्ता वाली 117 भाषाओं को संरक्षण हेतु चयनित किया गया है।
- **भाषा संसाधनों का विकास:** यह भारत की अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं में अनुसंधान और भाषा प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरा, शब्दकोश, व्याकरण

और डिजिटल भंडार तैयार करता है। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित भाषाओं सहित 150 से अधिक भाषाओं में संसाधन विकसित किए गए हैं।

- **भाषा शिक्षा और शिक्षाशास्त्र:** सीआईआईएल बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों, प्राइमर (120 से अधिक भाषाओं में) और शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करता है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** सीआईआईएल देश भर में भाषाई दक्षताओं को बढ़ाने हेतु शिक्षकों, अनुवादकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।
- **अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप:** सीआईआईएल भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास से संबंधित सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले शोधकर्ताओं /शोधार्थियों अनुसंधान छात्रवृत्ति / अध्येतावृत्ति / इंटर्नशिप प्रदान करता है।
